भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1645
उत्तर देने की तारीख : 29.07.2021

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1645. श्री एस. वेंकटेशनः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन देश में अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने के लिए किया गया था;
(ख) उक्त आयोग में पदों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है;
(ग) आयोग में रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों आदि के पद रिक्त है;
(ङ) यदि हां, तो पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;
(च) क्या माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि ये पद रिक्त क्यों हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर सरकार द्वारा आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) सरकार द्वारा एनसीएम अधिनियम, 1992 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएम) की स्थापना की गई है ताकि (क) संघ और राज्यों के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके; (ख) संविधान और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी की जा सके; (ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें की जा सके; (घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया की जा सके; (ङ) अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करवाया जा सके और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश की जा सके; (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण किया जा सके; (छ) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किसी अल्पसंख्यक के संबंध में उठाए जाने वाले उचित उपाय सुझाए जा सके; (ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले और विशेष रूप से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर केंद्र सरकार

को समय–समय पर या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें; और (झ) कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजा जा सके।

(ख) से (घ): एनसीएम में पदों की कुल स्वीकृत संख्या 86 है और वर्तमान में 49 पद खाली पड़े हैं जिनमें अध्यक्ष का एक पद और सदस्यों के पांच पद शामिल हैं जोकि कोविड महामारी के दौरान रिक्त है।

(ङ) से (च) : पद रिक्त होना और उक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और यह संबंधित पद के भर्ती नियमों/प्रावधानों और सरकार की नीतियों के अनुसार किया जाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी.(सी) 1985/2021 के मामले में निदेश दिया है कि आयोग में सभी रिक्त पदों का नामांकन 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले भरा जाए। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश सरकार के विचाराधीन है।

*****